(b) whether all the passenger and express trains have a stoppage at Aralvionoly, if not, the reasons for non-stoppage of the said trains; and

(c) number of respresentations sent to Southern Railways General Managers, Divisional Railway Managers at Chennai and Thiruvananthapuram; and the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) and (c) At present, one pair of express and three pairs of passenger trains are scheduled to stop at Aralvoymoli. Stoppage of 6339/6340 Nagercoil-Mumbai Express at Aralvoymoli is not commercially justified. Information regarding the number of representations received in the Offices of General Manager, Southern Railway, Divisional Railway Managers, Madras and Trivandrum is not readily available.

बेतवा नदी में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार कारखाने

2990. **श्री राघवजी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेतवा नदी के प्रदूषण के संबंध में जांच करने हेतु गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा इस नदी में अधिकतम प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार पाये गये कारखानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन कारखानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे काखाने अभी भी कार्यरत हैं; यदि हां, तो इन्हें बन्द करने अथवा इन्हें प्रदूषण रहित बनाने हेतु निर्देश जारी न किये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) मंडीदीप और विदिशा में बेतवा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित फैक्टरियों की सूची विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)** बेतवा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन उद्योगों में से किसी उद्योग द्वारा नदी में सीधे निस्तारण नहीं किया जाता है। सूचना मिली है कि इन उद्योगों से उत्पन्न होने वाले उपचारित एवं अनुपचारित सीवेज का कृषि के लिए उपयोग किया किया जाता है तथा केवल कृषि क्षेत्रों के रन-आफ मानसून के दौरान प्रारम्भिक वर्षा के जल के साथ नदी में पहुंचता है।

(ख) और (ग) इन इकाइयों के विरुद्ध वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निस्तारण की निगरानी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैसर्स सोम डिस्टिलरी, सेहतगंज तथा बद्रिस पेपर, मंडीदीप के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश के मण्डीदीप एवं विदिशा में उद्योगों की सूची

1. मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र
   - (क) मैसर्स बद्रिस पेपर
   - (ख) मैसर्स सी०जे० जेलाटिन
   - (ग) मैसर्स प्रोग्रेसिव एक्सट्रैक्शन
   - (घ) मैसर्स एरेल
   - (ङ) मैसर्स स्टैण्डर्ड सरफैक्टैंट
   - (च) मैसर्स ल्यूपिन लैब
   - (छ) मैसर्स गोदरेज फूड
2. विदिशा औद्योगिक क्षेत्र
   - (क) मैसर्स शिव शक्ति पेपर मिल
   - (ख) मैसर्स एम०पी० पेपर एंड बोर्ड मिल
   - (ग) मैसर्स सोम ब्रेवरीज लिमिटेड
   - (घ) मैसर्स सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड

Constitution of a Recuitment Board for Navodaya Vidyalayas

2991. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Recruitment Board has recently been constituted for Navodaya Vidyalayas;

(b) if so, the date and level at which the decision was arrived at; and

(c) the details of its composition and its functions, jurisdiction and legal status?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RE-

SOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

खतरनाक रसायनों के कारण हुई दुर्घटनाएं

2992. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उद्योग की संख्या में हुई निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप खतरनाक रसायनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे उद्योगों को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन पर कतिपय शर्तें लगाई जाये?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) कारखानों के राज्य मुख्य निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में रसायन उद्योग में बड़ी दुर्घटनाओं के विषय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिसंकटमय रसायनों की हैंडलिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित उपायों को 1987 में यथासंशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचना परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की संबंधित धाराओं में निर्धारित किया गया है। ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और मानव और पर्यावरण, दोनों पर दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम किया जा सके। उद्योगों का राज्य कारखाना निरीक्षणालय, संबंधित प्राधिकरण द्वारा वार्षिक निरीक्षण, हर छिमाही में स्थान का मॉक-ड्रिल्स करना तथा अधिष्ठाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियमों में सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करना और समय-समय पर सुरक्षा आडिट करना भी निर्धारित किया गया है। नियमों के विभिन्न प्रावधानों की ओर मुख्य दुर्घटना के खतरे वाले संकट प्रतिष्ठापनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 1991-1992 के दौरान पूरे देश में छः कार्यशालाएं आयोजित की गई। संबंधित उद्योगों और विनियामक एजेंसियों द्वारा बेहतर अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 पर एक विस्तृत गाइड और रसायनिक संकटों के लिए आपातकालीन तैयारी पर एक नियमावली प्रकाशित की गई है।

"रसायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना— तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996" नामक नियमों का एक सैट अधिसूचित किया गया है। नियमों में देश में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चार-स्तरीय एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

मौजूदा पंचवर्षीय योजना के तहत सात अभिनिर्धारित संस्थानों में दुर्घटना निवारण, तैयारी और प्रशमन पर कर्मिकों को प्रशिक्षण देने की एक योजना कार्यरूप में है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा पर आधारित "परिसंकटमय रसायनों" को पुनः परिभाषित करके कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमों पर संशोधन प्रारूप, विचाराधीन है।

(घ) मंजूरी दिए जाने से पहले उद्योगों को 3 अक्तूबर, 1994 को संशोधित परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात निमय, 1989 के तहत स्थानों के अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करना जरूरी है। इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबंधों तथा 4 मई, 1994 को यथासंशोधित 27 जनवरी, 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के तहत भी विनियमित किया जाता है।

New Railway Projects for Karnataka

2993. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the new Railway Projects which have been announced in the Railway Budget and by the Prime Minster for Karnataka;

(b) the cost of each project;

(c) the projects for which technical sanction has been given;

(d) the projects which are awaiting technical sanction; and

(e) the amount provided for these projects in the budget for 1996-97?